## उत्पादक संगठन विकास निधि (पीओडीएफ़) के तहत अनुदान सहायता के लिए पात्र संस्थाएँ

## **Institutions Eligible for Grant Assistance under PODF**

- उत्पादक संगठनों, बहु सेवा केंद्रों(एमएससी) के रूप में कार्य कर रहे पैक्स/पीसीएआरडीबी, उत्पादक संगठनों का संवर्धन करने/ सुविधा प्रदान करने/ ऋण देने वाली एजेंसियाँ, कृषि-व्यवसाय इनक्यूबेटर और अन्य व्यावसायिक संगठन जो पीओ/ पैक्स/ पीसीएआरडीबी का क्षमता निर्माण करते हैं/ को हैंडहोल्डिंग सहयता प्रदान करते हैं.
  - Producers' Organizations, PACSs/PCARDBs operating as Multi Service Centres (MSCs), PO promoting/ facilitating /on-lending agencies, agribusiness incubators and other professional organizations providing capacity building/ handholding support to POs/ PACSs/PCARDBs.
- व्यावसायिक/ प्रख्यात एजेन्सी के माध्यम से संगठित पीओ को विशिष्ट प्रशिक्षण/ क्षमता निर्माण उपायों की सहायता हेत् नाबार्ड की सहायक संस्थाएं हैं.
  - Subsidiaries of NABARD for supporting specific training/capacity building measures to POs organized through a professional/reputed agency.
- नाबार्ड द्वारा अनुमोदित कोई अन्य संस्था/ संगठन, जिसके उद्देश्य/ गतिविधियाँ पीओडीएफ़ के समग्र उद्देश्यों के अनुरूप है.
  - Any other institution/ organization, as approved by NABARD, whose objectives/ activities are in conformity with the overall objectives of PODF.